Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. राकेश कुमार चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय, कुक्षी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत की संस्कृति और सभ्यता की सम्पूर्णता अपने आप में अनूठी है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के निवासियों की विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिता है, जो अपने आप में एक मिसाल है, वहीं एकात्मकता भारतीय अस्मिता की परिचायक है। इसीलिए भारत को एकता में अनेकता का देश कहा जाता है। विभिन्न प्रजातीय तत्वों का मिश्रण होने के कारण कभी-कभी इसे प्रजातियों का अजायबघर भी कहा जाता है। यहाँ वन प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले अनेक मानव-समुदाय मानव सभ्यता के विकास क्रम में विभिन्न कारणों से पृथक रह गये, फलत: विकास का प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इन दुर्गम और पृथक क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समुदाय सभ्यता की दृष्टि से अभी भी प्रारंभिक सोपानों पर ही हैं।
कुंजी शब्द- ग्रामीण आदिवासी, संस्कृति, मानव सभ्यता।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश का दक्षिणी-पश्चिमी भाग जनजातीय भारत के नाम से जाना जाता है।एक लम्बे अरसे से पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों को उनकी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाये रखते हुए विकास करना एवं राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण चुनौती रही है। इसी के अनुरूप बदलते परिवेश में आदिवासियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

शोध विषय का चयन – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। झाबुआ जिले **'ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन'** विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आदिवासी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित बिन्दुओं का अध्ययन करने के लिए इस शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. ग्रामीण आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण आदिवासियों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करना।

अध्ययन का महत्व – इस शोध अध्ययन के माध्यम से ग्रामीण आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति से संबंधित विभिन्न पहलूओं जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उनके समक्ष उत्पन्न समस्याएँ को समझने का अवसर मिलेगा जो आदिवासी विकास की नीति निर्धारकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अध्ययन का क्षेत्र – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। इस जनजाति बाहुल्य जिले में सर्वधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है।

निदर्शन प्रक्रिया

1. अध्ययन का समग्र – इस शोध कार्य के समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चयनित आदिवासी आधिक्य झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

2. अध्ययन की इकाई – अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से कुल 360 आदिवासी परिवारों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – शोध कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। झाबुआ जिले से कुल 360 आदिवासी परिवारों का चयन **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है।

आँकड़ों का संकलन – ग्रामीण आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अध्ययन से संबंधित इस शोध की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्त्रोत – अध्ययन क्षेत्र के आदिवासी उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की पूर्ति की गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष

1. आदिवासियों की आयु-संरचना के आधार पर स्पष्ट है कि अधिकतर (51.17 %) आदिवासी 40-50 वर्ष की आयु के हैं तथा लगभग 34 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल है। जोबट तहसील में लगभग 54 प्रतिशत आदिवासी 40-50 वर्ष की आयु के हैं, वहीं भाबरा तहसील में इस आयु वर्ग के 50 प्रतिशत आदिवासी हैं। अत: अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर आदिवासियों की आयु में सार्थक अंतर नहीं है। इस विश्लेषण में एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ज्यादातर आदिवासी मध्यम आयु वर्ग के हैं। सामान्यत: मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से करते हैं।
2. आयु-संरचना एवं व्यावसायिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न लगभग 55 प्रतिशत आदिवासी 40-50 वर्ष के आयु वर्ग के है तथा इसी कार्य में संलग्न लगभग 31 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष की आयु के है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न 50 प्रतिशत

आदिवासी 40-50 वर्ष के तथा लगभग 33 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष की उम्र के है। मजदूरी करने वाले लगभग 51 प्रतिशत आदिवासी 30-40 वर्ष की आयु के हैं तथा लगभग 37 प्रतिशत आदिवासी 40-50 वर्ष की आयु वर्ग के है। स्वतंत्रता के परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार आयु का व्यावसायिक-संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात् विभिन्न कार्यों में संलग्न आदिवासियों की आयु में सार्थक नहीं अंतर है। आदिवासी लोग काम की उपलब्धता/अनुपलब्धता के कारण अपने रोजगार क्षेत्र में संलग्न होते हैं, न कि आयु के प्रभाव से।

3. आदिवासियों की उपजाति के वर्गीकरण के आधार पर स्पष्ट है कि लगभग 62 प्रतिशत आदिवासियों की उपजाति भील है तथा लगभग 29 प्रतिशत आदिवासियों की उपजाति भिलाला है तथा शेष आदिवासियों की उपजाति पटेलिया है। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक भील जनजाति निवास करती है।

4. वैवाहिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लगभग 83 विवाहित तथा शेष आदिवासी अविवाहित हैं।

5. आदिवासियों की शैक्षणिक-स्थिति के अनुसार लगभग 71 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित है। जोबट तहसील में लगभग 68 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित हैं, वहीं भाबरा तहसील में अशिक्षितों का प्रतिशत लगभग 74 है। अत: स्पष्ट है कि झाबुआ जिले के आदिवासियों की शिक्षा का स्तर काफी चिंताजनक है। यह तथ्य वर्ष 2001 कि जनगणना से भी स्पष्ट हो गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में साक्षरता दर 36.89 प्रतिशत है। यह जिला मध्यप्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला है। अशिक्षा के कारण आदिवासियों को अपने जीवन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

6. जो आदिवासी शिक्षित हैं, उनकी शिक्षा के स्तर के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लगभग 64 प्रतिशत केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है तथा लगभग 14 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित है। उच्च शिक्षित आदिवासियों का प्रतिशत लगभग 6 है, जो सबसे कम है।

7. शैक्षणिक-स्थिति एवं व्यावसायिक-संरचना की स्थिति को देखें तो स्पष्ट है कि कृषि करने वाले लगभग 74 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित है तथा शेष कृषक शिक्षित है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लगभग 71 प्रतिशत तथा नौकरी करने वाले सभी आदिवासी शिक्षित है। मजदूरी करने वाले 84 प्रतिशत आदिवासी अशिक्षित है।

8. शिक्षा के स्तर एवं व्यावसायिक-संरचना के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न कुल शिक्षित आदिवासियों में से लगभग 78 प्रतिशत आदिवासी केवल प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है तथा इस वर्ग में मात्र 5 प्रतिशत आदिवासी हाईस्कूल/हायर सेकंडरी तक शिक्षित है। कृषि में संलग्न आदिवासियों में से कोई भी उच्च शिक्षित नहीं है। दूसरी ओर विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लगभग 83 प्रतिशत आदिवासियों ने हाईस्कूल/हायर सेकंडरी तक की शिक्षा प्राप्त की है। मजदूर वर्ग के सर्वाधिक (87.50%) आदिवासियों की शिक्षा का स्तर भी प्राथमिक शिक्षा तक ही है। नौकरी करने वाले सभी आदिवासी उच्च शिक्षित है।

9. आदिवासियों के परिवार के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लगभग 57 प्रतिशत आदिवासियों के परिवार का स्वरूप एकाकी है तथा 43 प्रतिशत आदिवासियों के परिवार का स्वरूप संयुक्त है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जनजाति समाज में संयुक्त परिवार का महत्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और दूसरी ओर एकल परिवार प्रणाली उसका स्थान ले रही है। उत्तराधिकारी एवं स्वामित्व की चाह तथा कमजोर आर्थिक स्थिति ऐसे महत्वपूर्ण कारण है, जो संयुक्त परिवार प्रणाली को तेज गति से विघटित कर रहे है। इस प्रकार अदिवासी समाज में एकाकी परिवार प्रणाली का विस्तार होता जा रहा है।

10. परिवार के स्वरूप एवं व्यावसायिक-संरचना के संबंध में प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न लगभग 53 प्रतिशत आदिवासी संयुक्त परिवार में रहते हैं तथा शेष आदिवासी एकाकी परिवार में रहते है। दूसरी ओर विभिन्न व्यवसायों (91.67%), मजदूरी (88.24%) तथा नौकरी (83.33 %) करने वाले आदिवासियों के परिवार का स्वरूप एकाकी है। अत: स्पष्ट है कि कृषि में संलग्न आदिवासी आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली को महत्व देते हैं और इसी परिवार प्रणाली में रहना पसंद करते है। परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण कई सदस्य अन्य सहायक क्षेत्रों में कार्य करते हैं और इस हेतु वे परिवार से अलग रहकर दूसरे गाँवों या शहरों में जाकर कार्य करते हैं, परन्तु परिवार को संयुक्त परिवार का आधार प्रदान करते हैं, जबकि दूसरी ओर व्यवसाय, मजदूरी एवं नौकरी पेशा लोगों में एकाकी परिवारों में रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। परिणामत: संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन होता जा रहा है।

11. आदिवासियों के परिवार के आकार के संबंध में प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 43 प्रतिशत आदिवासी परिवारों के सदस्यों की संख्या 4-6 है तथा लगभग 40 प्रतिशत परिवारों में सदस्यों की संख्या 7-9 है। लगभग 13 प्रतिशत परिवारों में 10 से अधिक सदस्य है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश आदिवासी ऐसे हैं, जिनके परिवारों में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है। आदिवासी समाज में परिवार का आकार सीमित नहीं है अर्थात् वे परिवार में सदस्यों की अधिक संख्या को महत्व देते हैं। उनका सोचना है कि अधिक सदस्य होंगे तो वे अधिक कार्य करेंगे और परिणामत: अधिक आय प्राप्त होगी, क्योंकि यह समाज अपने परिवार के कम उम्र के बच्चों को भी आर्थिक कार्यों में संलग्न कर देते हैं। इस प्रकार आदिवासी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बड़ा परिवार आर्थिक समृद्धि का सूचक है।

12. परिवार के आकार एवं व्यावसायिक संरचना के संबंध में प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कृषि कार्य में संलग्न सभी आदिवासी परिवारों में 4 से अधिक सदस्य है। विभिन्न व्यवसायों में संलग्न अधिकांश (54.17%) आदिवासी परिवारों में भी 4 से अधिक सदस्य हैं। मजदूरी करने वाले आदिवासियों में यह अनुपात लगभग 80 प्रतिशत है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि, विभिन्न व्यवसायों एवं मजदूरी में संलग्न आदिवासियों के परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि कृषकों में संयुक्त परिवार प्रणाली अपनायी जाती है, वहीं व्यवसाय करने वाले आदिवासी ज्यादा शिक्षित नहीं है। इस वजह से वे छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझ सकें है। मजदूरी करने वाले परिवारों के समक्ष पालन-पोषण की समस्या होती है और परिवार में अधिक सदस्य को लाभकारी मानते हैं।

उपसंहार – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि आदिवासी परिवारों के आर्थिक-सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और शिक्षा की ओर ध्यान दिया

जाना बहुत ही आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Singh, Jaspal (1991), Introduction to methods of Social Research, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, P-44.
2. यादव, मारकेण्डय सिंह (1994), आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के कुछ पल, रावत पब्लिकेशंस, दिल्ली, पृ. 76-79
3. Singh, B. (1977), `Comparative Study of Seven Tribes Village of India :- Economic Diemention, The tribe, Vol. 13, No. 1, PP. 14-19
4. Pande, P.K. (1991), `Tribal Occupation & New Dynamics, Mittal Publications, New Delhi, P. 12
5. भार्गव, करूणा (1996), ग्रामीण-नगरीय संरचना, प्रिंटवैल, जयपुर, पृ. 256
6. Swarup, R. & Singh, Ranveer (1988), `Social Economic of a Tribal Village village, Mittal Publications, New Delhi, P. 41
7. Bairathi, Shashi (1991), `Tribal Culture, Economy & Health, Rawat Publication, Jaipur, P.54

****